


रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.


महोदयजी, निवेदन है कि राजस्व ग्राम सडिया रेल की खाता संख्या 25 में जर्पी का नाम लोगरिया पुत्र काना भील दर्ज रिफॉर्ड है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में जर्पी का नाम लोगर पुत्र काना भील दर्ज रिफॉर्ड है अतः राजस्व रिफॉर्ड में भी जर्पी का नाम लोगरिया पुत्र काना भील की बजाय लोगर पुत्र काना भील किया जाना उचित है


(किशन लाल सुकारि)
पटवारी
पटवार मण्डल-
तह-मावली, जिला-उदयपुर

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

1979
4/12/25

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू. अ. नि. के जर्पी का नाम राजस्व रिफॉर्ड में लोगर पुत्र काना भील दर्ज किये जाने की अनुशंघा की जाती है


तहसीलदार, मावली
जिला-उदयपुर (राज.)


उ.सं-242/25

आदेश

दिनांक - 10/12/2025

मुताबिक तहसीलदार मावली की अनुशंघा के राजस्व ग्राम सडिया रेल प० ह० बोगना की जमाबंदी संवत् 2077-80 की खाता संख्या 25 में जर्पी का नाम लोगरिया पुत्र काना भील की बजाय लोगर पुत्र काना भील दर्ज किये जाने की सूचना दी जाती है।




उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) मावली
उपखण्ड अधिकारी
मावली, जिला उदयपुर